PART - III

(To be filled by the concerned Chief Conservator of Forests)

Name of Project :- **Missing Link dooni anwa road to Chandli maata jee**

Forest Area/ Land proposed for diversion :- **2.1 Hectare**

District :- **Tonk**

Forest Division :- **Tonk**

1. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forest (yes / no) . If yes, the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.

   Yes, on 17-09-2015. Copy of Inspection note enclosed.

2. Whether the concerned Chief Conservator of Forest agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forest.

   Yes. Agreed.

3. Specific recommendation of concerned Chief Conservator of Forest for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reason.

   This is a pre 1980 Kuccha road where rubble road and culverts were constructed in violation of Forest (Conservation) Act 1980 by Agriculture Marketing Board Officials. The proposal may be accepted along with stipulation of penal conditions.

Signature

Name :- S. K. Dubey

Official Seal

(एस० के० दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

Date :- 02.11.2015

Place :- Ajmer

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 17.9.2015 द्वारा एस.के.दुबे, मुख्य वन संरक्षक, अजमेर, रेंन्ज देवली, वन मण्डल टोंक

दिनांक 17.9.2015 को उप वन संरक्षक टोंक, क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली एवं संबंधित स्टॉफ के साथ के निम्न कार्य स्थलों का निरीक्षण किया :–

(1) आवा–दूनी सड़क से चांदली माता तक वन क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यः– आवा–दूनी सड़क से चांदली माता सड़क में विगत दिनों कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 4किलोमीटर से अधिक लम्बाई में वन क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति के सड़क एवं 7 कलवर्ट/रपट का निर्माण किया गया है। जिसका निरीक्षण उप वन संरक्षक टोंक एवं संबंधित स्टॉफ के साथ किया गया । पूरी सड़क की लम्बाई के दौनों ओर मिट्टी काटी गयी है तथा पत्थर गिट्टी से रेमिंग करके कच्ची सड़क का निर्माण किया गया हैं । उप वन संरक्षक टोंक ने अवगत कराया कि उक्त सड़क के स्थान पर आवागमन का रास्ता पूर्व में ही सन् 1962 के सेटलमेंट के समय से ही था तथा उसे पक्का करने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्यों से डेलिकेटेट पावर के तहत ही मुख्य वन संरक्षक स्तर से अनुमति दी जा सकती थी । यह बात कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को बता दी गयी थी तथा उनसे बिना स्वीकृति के कोई निर्माण नहीं कराने के लिए लिखित में भी ताकीद कर दी गयी थी । किन्तु इसके उपरान्त भी उक्त विभाग द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया गया । इस संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को उप वन संरक्षक टोंक द्वारा पूर्व में ही निर्देश दे दिये गये थे किन्तु उनके द्वारा उक्त अवैध सड़क निर्माण रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी । अतः इस कार्यालय के आदेश कमांक 6157–61 दिनांक 20.8.2015 द्वारा वन संरक्षक अजमेर को प्रारम्भिक जॉच अधिकारी बनाया गया एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण कर रिपोर्ट चाही गयी जो अपेक्षित है। साथ ही इस कार्यालय के कार्यालय आदेश कमांक 6196–6202 दिनांक 21.8.2015 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को निलम्बित किया गया । उप वन संरक्षक टोंक ने अवगत कराया कि संबंधित विभाग कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त कार्य की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नियमन कराने हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रकिया के अनुसार नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान को प्रेषित कर दिये है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो इस संबंध में उप वन संरक्षक टोंक एवं संबंधित स्टॉफ को निर्देश दिये गये ।

~~**(2) वृक्षारोपण बिशनपुरा–बी आरडीएफ–I 50है0 नार्बाड फेज–II :–** यह एक पहाड़ी एवं हल्की ढलान वाला क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक रूप से धामण घास, हिंगोट, केर, कंकेडा, बेर~~

(एस.के.दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

कमांक एफ ( )मुवसं/नि.स./निरी./2015/7031-32 दिनांक 21.9.15

1. प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, टोंक को प्रेषित लेख है कि दिये गये निर्देशों की पालना करवाकर पालना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

21/9/15
(एस.के.दुबे)